Issue of licences to M/s. Petroearbons, M/s. India Carbons *etc.* for setting up industrial units

1486. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that industrial licences were issued to several companies viz. M/s. Petroearbons, Haldia, M/s. Goa Carbons, Goa, M/s. India Carbons, Budge Budge (West Bengal) for setting up industrial units during the last three years;

(b) if so, what were the products for which licences were issued alongwith respective installed capacity and commitments foe- exports;

(c) what have been the sources of raw materials showing the component; of imported and indigenous raw materials separately;

(d) whether these units have been fulfilling their export commitments; and

(e) if not, the details of their shorfalls and the action Government propose to take against them?

THE MINlSTEiR OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORA. RKA): (a) to 16) No Industrial Licence has been issued to M/s. Petroearbons, Haldia, M/s. Goa, Carbons, Goa and M/s. India Carbons, Budge Budge (West Bengal) fee setting up industrial JLSjfits during the last three years. However, i these companies are registered with the Directorate General of Technical Development (DGTTJ) foe manufacture of various items, the details of which are furnished in the Appendix *[See* Appendix CLVI, Annexure No. 35], Trere is no export obligation in the registrations issued to these companies.

(d) and (e) Do not arise.

राजधानी में अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन

1487. **श्रीमती सूर्यकांता पाटिल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सिनेमा घरों में प्रातः कालीन शो में अश्लील फिल्मों (हिन्दी और अंग्रेजी) की बाढ़ सी आ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस नीति का ब्यौरा क्या है जिसके अधीन ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति दी जा रही है और ऐसी अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन के खिलाफ बहुत से संगठनों ने आवाज उठायी है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके अनुरोधों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी फिल्मों का प्रमाणीकरण, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा, चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय, बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करेगा कि अभद्रता, अश्लीलता और विकृति से मानवीय भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे । इसीलिए सिनेमाघरों में केवल प्रमाणित फिल्में ही दिखायी जा सकती हैं । तथापि, ऐसी रिपोर्ट मिली है कि फिल्मों को उस रूप में नहीं दिखाया जाता जिस रूप में उन्हें प्रमाणित किया जाता है । आम भाषा में, इसे "फिल्मों में अंशों को जोड़ना" कहा जाता है । कई व्यक्ति और संगठन ऐसे मामलों के बारे